बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 79404 पटना, दिनांक 16-11-11

R.11019/100/2011Sec07(5)

प्रेषक,

ए. संतोष मैथ्यू,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

विषय :- वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजनांतर्गत आवासों की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान भुगतान हेतु द्वितीय विशेष अभियान के लिए कालबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 71736 दिनांक 07.09.11, पत्रांक 76793 दिनांक 19.10.11 एवं पत्रांक 76790 दिनांक 19.10.11.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना हैकि जून-अगस्त 2011 के दौरान इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन, स्वीकृति एवं सहायता अनुदान भुगतान हेतु चलाये गये विशेष अभियान में अच्छी उपलब्धि के वावजूद शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है । पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य सहित 9.72 लाख भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 5.82 लाख आवास ही लाभार्थियों को आवंटित किया जा सका है ।

प्रमंडलों/जिलों से प्राप्त विशेष अभियान से संबंधित ऑकड़ों के विश्लेषण एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जून-अगस्त के अभियान में शत-प्रतिशत उपलब्धि नहीं होने का मुख्य कारण कुछ जिलों में प्रतीक्षा सूची से अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का Saturation, लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए वासस्थल का नहीं होना तथा कुछ लाभार्थियों की अस्थायी अनुपस्थिति है ।

विभागीय पत्रांक 76793 दिनांक 19.10.11 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रतीक्षा सूची से Saturation के संबंध में तथा पत्रांक 76790 दिनांक 19.10.11 के द्वारा वासस्थल विहीन अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग परिवारों को जमीन क्रय कर उपलब्ध कराने के संबंध में दिशानिर्देश दिया गया है । आशा है कि उक्त विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर वासस्थल उपलब्ध कराने हेतु जमीन का क्रय एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के आच्छादन/समाप्त हो जाने की समस्या का समाधान कर लिया गया होगा ।

इंदिरा आवास योजनांतर्गत अवशेष बचे लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का चयन, आवास की स्वीकृति, सहायता राशि भुगतान आदि की कार्रवाई को स्वच्छ एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु एक विशेष अभियान चलाने का विभाग ने निर्णय लिया है । अभियान के लिए एक कालबद्ध प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

1. **इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से कोटिवार अवशेष लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का चयन (25 नवम्बर से 27 नवम्बर 2011तक):-**

प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड में अवशेष बचे लक्ष्य के अनुरूप विधिवत तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से कोटिवार (अनु0 जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं सामान्य) लाभार्थी का चयन कर एक सूची तैयार करेंगे । इसमें ध्यान रखा जाएगा कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया गया है ।

यदि पंचायत अंतर्गत कोई कोटि अथवा वर्ग के परिवार समाप्त हो गये हैं तो मार्गदर्शिका की कंडिका 1.5 (iii) के अनुसार कार्रवाई करते हुए लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का चयन करेंगे ।

2. चयनित लाभार्थियों की सूची को प्रखंड/अंचल के अभिलेखों से सत्यापन एवं अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात कोटिवार लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन (28 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2011 तक) :-

चयनित लाभार्थियों को इंदिरा आवास निर्माण हेतु पूर्व में सहायता राशि दी गयी है अथवा नहीं एवं मकान निर्माण के लिए लाभार्थी को भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं, का सत्यापन प्रखंड/अंचल में उपलब्ध अभिलेखों से करते हुए सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी के देख-रेख में निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा । अभिलेखों से सत्यापन के क्रम में यदि किसी लाभार्थी का नाम चयनित सूची से हटाया जाता है तो इसका स्पष्ट कारण का उल्लेख कर लाभार्थी को सूचित करना अनिवार्य होगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची के सत्यापन के पश्चात कोटिवार लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर प्रखंड एवं पंचायत कार्यालयों में प्रकाशित करायेंगे तथा एक प्रति स्थानीय माननीय सदस्य बिहार विधान सभा/विधान परिषद को भी उपलब्ध करायेंगे । सूची स्वच्छ एवं पारदर्शी एवं त्रुटिरहित हो, इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हर हाल में सुनिश्चित करेंगे । स्थायी प्रतीक्षा सूची में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाएगा ।

3. प्रत्येक पंचायत में शपथ पत्र, फोटोग्राफी एवं बैंक खाता खोलने से संबंधित कार्य के लिए शिविर आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण एवं अंतिम रूप से चयनित लाभान्वितों को लिखित सूचना का तामिला कराना (6 दिसम्बर से 10 दिसम्बर 2011तक):-

प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक पंचायत के लिए शिविर आयोजन की तिथि एवं समय का निर्धारण करेंगे तथा इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को देंगे । शिविर स्थल पंचायत के मध्य में होगा ताकि सभी संबंधित लाभार्थी आसानी से पहुँच सकें । लाभार्थी का बैंक खाता खुलवाना, शपथ पत्र पर बयान, अभिलेख खोलने एवं सहायता राशि भुगतान की सारी प्रक्रिया शिविर में ही पूरा किया जाना है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी को प्रखंडों द्वारा निर्धारित शिविर की तिथि में उपस्थित होकर शपथ पत्र पर बयान लेने हेतु निदेश देंगे । शपथ लेने वाले लाभार्थी की पहचान न्यायमित्र द्वारा किया जाएगा । शपथ पत्र के लिए स्टॉम्प क्रय करने हेतु होने वाला खर्च प्रति लाभार्थी 25/- रूपये का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । इसी प्रकार प्रखंड स्थित सभी बैंक शाखाओं को भी इन शिविरों में उपस्थित होकर लाभार्थियों को खाता खोलने हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से निदेश दिया जाएगा तथा इस संबंध में जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया जाएगा ।

(136)

प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अंतिम रूप से चयनित सभी लाभार्थियों को इसकी लिखित सूचना चौकीदार के माध्यम से दें । यह ध्यान रखा जाए कि सूचना किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नहीं दी जाए अन्यथा सूचना को आधार बनाकर भी दलाल/बिचौलिये लाभार्थी को भ्रमित कर उनसे नाजायज राशि वसूल सकते हैं । सूचना पत्र में शिविर की तिथि एवं स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि "लाभुक का नाम सामान्य/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अल्पसंख्यक/विकलांग कोटि में चयनित किया गया है, पंचायत में आयोजित होने वाली शिविर में उनका शपथ पत्र लिया जाएगा एवं फोटोग्राफी कराकर बैंक खाता खुलवाया जाएगा तथा आवास स्वीकृति से संबंधित सभी कार्य शिविर में ही सम्पन्न किए जाएंगे । पत्र में यह भी उल्लेख किया जाए कि वे किसी दलाल, बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसे ।

4. शिविर आयोजन के पूर्व प्रचार-प्रसार आदि की व्यवस्था (11 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2011 तक):-

शिविर की तिथि के दो दिन पूर्व से एवं शिविर की तिथि को शिविर के उद्देश्य एवं शिविर में किए जाने वाले कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा । प्रचार-प्रसार पर प्रति शिविर 1120/- रूपये व्यय का अनुमान है जिसका वहन पूर्व में विशेष अभियान के लिए उपलब्ध करायी गयी निधि से की जाएगी । राशि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में तत्काल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन मद में उपलब्ध निधि से व्यय किया जाएगा तथा व्ययोपरांत आवश्यक निधि विभाग से मॉग की जाएगी ।

5. पंचायतों में शिविर का आयोजन एवं शिविर में संपादित किये जाने वाले कार्य (14 दिसम्बर 2011से 7 जनवरी 2012तक) :-

शिविर में निम्नांकित कार्य संपादित किये जायेंगे :-

(क) लाभार्थियों का फोटोग्राफी :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का फोटो खिंचवाने की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही की जाएगी । इसके लिए फोटोग्राफर फोटो खींचकर शिविर स्थल पर ही फोटो उपलब्ध करायेंगे ताकि फोटो का उपयोग शिविर में अभिलेख खोलने तथा बैंक खाता खोलने में किया जा सकेगा । एक फोटो कॉपियर मशीन भी शिविर स्थल पर रखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके । प्रति लाभुक फोटोग्राफी एवं फोटो कॉपियर पर 30/- रूपये व्यय अनुमानित है जिसका वहन पूर्व में विशेष अभियान के लिए उपलब्ध करायी गयी निधि से की जाएगी । राशि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में तत्काल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन मद में उपलब्ध निधि से व्यय किया जाएगा तथा व्ययोपरांत आवश्यक निधि विभाग से मॉग की जाएगी ।

(ख) लाभार्थियों का शपथ पत्र पर बयान हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी की व्यवस्था :-

(135)

शिविर की तिथि को शिविर स्थल पर कार्यपालक दंडाधिकारीकी उपस्थिति जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे । प्रखंड विकास पदाधिकारी शपथ पत्र का प्रारूप पूर्व से मुद्रित कराकर रखेंगे ताकि टाइप करने अथवा बयान को हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं रहे ।

लाभार्थी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष निम्न प्रकार शपथ पत्र पर अपना बयान दर्ज करायेंगे:-

(i) मैं (लाभुक का नाम) या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में इंदिरा आवास योजनांतर्गत किसी तरह का सहायता अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

(ii) मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य को पूर्व से कोई पक्का मकान नहीं है।

(iii) मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है ।

(iv) मैं या मेरे परिवार के सदस्य श्री ..... पिता/पति..... के नाम से राजस्व ग्राम ..... जिला ..... में आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है ।

(v) मेरा (लाभुक) नाम ..... राजस्व ग्राम..... ग्राम पंचायत..... प्रखंड..... जिला के बी.पी.एल. सूची में परिवार की पहचान संख्या ..... में अंकित है ।
(यदि महिला लाभुक के नाम से बी.पी.एल. परिवार की पहचान संख्या नहीं है तो उस परिवार के मुखिया से लाभुक का क्या संबंध है, यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा)

(vi) मैं इंदिरा आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी राशि का उपयोग आवास बनाने के कार्य में ही करूँगा । प्राप्त राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं करूँगा ।

(vii) उपर्युक्त बिन्दु (i) से (vi) तक का कथन सत्य है और वह यदि बाद में गलत पाये जायेंगे तो मैं उचित कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा तथा इस मद में मेरे द्वारा ली गई राशि ब्याज सहित मुझसे वसूलनीय होगी ।

इंदिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिये गए शपथ पत्र के आधार पर इंदिरा आवास की स्वीकृति शिविर में प्रदान की जाएगी ।

(ग) लाभार्थियों का बैंक खाता खोलवाना :-

शिविर में सभी आवश्यक कागजातों के साथ बैंक कर्मी भी उपस्थित रहेंगे । शिविर में ही बैंक कर्मियों द्वारा लाभार्थियों का खाता खोला जाएगा तथा खाता नम्बर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा । प्रखंड कर्मियों द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया में शाखा प्रबंधक को सहयोग दिया जाएगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित परिवार के महिला सदस्य के नाम पर आवास स्वीकृत किया जाय तथा बैंक खाता खुलवाया जाय । परिवार में योग्य महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ही पुरूष सदस्य के नाम पर आवास की स्वीकृति एवं बैंक खाता खुलवाया जाएगा । प्रखंड कर्मियों द्वारा खाता खुलवाने की प्रक्रिया में बैंक शाखा प्रबंधकों को सहयोग दिया जाएगा ।

(134)

(घ) अभिलेख तैयार कर सहायता राशि का एडवाइस के माध्यम से लाभर्थियों के खाता पर भुगतान :-

सभी उपस्थित लाभार्थियों का बैक खाता खुल जाने एवं शपथ पर बयान हो जाने के पश्चात शिविर की तिथि को शिविर में ही पंचायतवार एक अभिलेख संधारित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया पूरा कर स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा तथा लाभार्थियों के बैंक खाता पर एडवाइस के साथ एक ही चेक से राशि का भुगतान किया जाएगा । उपर्युक्त कंडिका 'क' से 'घ' तक की सारी प्रक्रिया शिविर की तिथि को ही पूरा किया जाना है । शिविर को सफल बनाने का उत्तरदायित्व उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी । पंचायत/प्रखंड स्तरीय शिविर आयोजन के लिए प्रति शिविर 2000/-(दो हजार रूपये) व्यय अनुमानित है । जिसका वहन पूर्व में विशेष अभियान के लिए उपलब्ध करायी गयी निधि से की जाएगी । राशि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में तत्काल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन मद में उपलब्ध निधि से व्यय किया जाएगा तथा व्ययोपरांत आवश्यक निधि विभाग से मांग की जाएगी ।

6. दिनांक 11 जनवरी 2012 (बुधवार) को प्रखंड स्तर पर पासबुक वितरण हेतु शिविर का आयोजन :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय शिविर को सफलता पूर्वक आयोजित करने हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें :-

(क) शिविर की व्यवस्था :-

शिविर आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी । प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिविर हेतु आवश्यतानुसार टेण्ट/शामियाना/कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था करेगें ।

(ख) शिविर के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार :-

विशेष अभियान के तहत यह एक महत्वपूर्ण शिविर है । शिविर की सफलता इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर निर्भर करती है । प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से ही लाउडस्पीकर से पूरे प्रखंड क्षेत्र में प्रचार करायेंगे । विभाग स्तर से भी शिविर के संबंध में समाचार पत्रों के माँध्यम से प्रचार का कार्य कराया जाएगा ।

(ग) शिविर में शिरकत करने हेतु जन प्रतिनिधिगण को आमंत्रण :-

शिविर का आयोजन को पारदर्शी बनाने के ख्याल से यह आवश्यक है कि इसमें जन प्रतिनिधि गण को भी आमंत्रित किया जाए । प्रखंड विकास पदाधिकारी स्थानीय माननीय सांसद/विधायक/पार्षद को आमंत्रण पत्र भेजते हुए शिविर में भाग लेने हेतु अनुरोध करेंगें। राज्य के कुछ प्रखंडों के शिविर में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी सिरकत कर सकते हैं । सभी जिला के प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में शिविरि में भाग लेंगे ।

(घ) शिविर में पासबुक वितरण :-

दिनांक 27.08.11 को आयोजित इंदिरा आवास विशेष शिविर में ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि लाभार्थियों को बिना सहायता राशि की प्रवृष्टि किए हुए पासबुक का वितरण किया गया है । अत: प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगें कि लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत सभी लाभुकों का सहायता राशि की प्रविष्टि की हुई पासबुक वितरित हो । इस कार्य को संपन्न करने के लिए शिविर की तिथि के पूर्व ही अपने प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंक शाखाओं से वे लगातार सम्पर्क में रहेंगे

तथा शिविर में सहायता राशि प्रवृष्ट किए हुए पासबुक के साथ बैंको की सहभागिता सुनिश्चित करायेंगे ।

7. **अन्य महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिन्दु :-**

जैसा कि विभागीय पत्रांक 6889 दिनांक 11.06.11 में निदेशित है कि सभी जिलों में काफी संख्या में आवास अधूरे/निर्माणाधीन है, फलस्वरूप लाभार्थी बेघर की स्थिति में ही हैं । ऐसे आवासों का सर्वेक्षण कराकर उन्हे युद्ध स्तर पर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन स्वच्छ एवं पारदर्शी ढ़ंग से हो, इसे सुनिश्चित किया जाय । प्रमंडलीय आयुक्त जॉच दल गठित कर क्षेत्रों में इंदिरा आवास का सत्यापन करायेंगें तथा घूसखोरी एवं अनियमितता के मामलों के प्रकाश में आने पर विभागीय पत्रांक 6889 दिनांक 11.06.11 में दिए गए निदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगें । प्रथम विशेष अभियान के तरह ही इस अभियान के लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त नोडल पदाधिकारी होंगें और अभियान को सफल बनाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमंडलीय आयुक्तों की होगी। वे अपने अधीनस्थ जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों की बैठक कर दूसरी विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करेगें ।

विशेष अभियान की कार्रवाई से संबंधित जिलों की प्रगति की समीक्षा कर अभियान को सफल बनाने हेतु प्रमंडल स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जायेगा । कोषांग द्वारा लगातार जिलों के संपर्क में रह कर अभियान की प्रति दिन समीक्षा की जायेगी तथा प्रमंडलीय आयुक्त को प्रगति से अवगत कराया जायेगा । प्रमंडलीय आयुक्त विशेष अभियान के हर कदम पर किये गये कार्यों की समीक्षा कर जिलावार/प्रखंडवार प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक शुक्रवार को 03.00 बजे अपराह्न तक ई-मेल iaybihar@gmail.com पर विभाग को प्रतिवेदित करेंगें तथा इस अभियान की प्रगति से प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें ।

विश्वासभाजन

(प्र. संतोष मैथ्यू)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 79404 पटना, दिनांक :- 16-11-11

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सचिव/ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी/आई. टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईअ पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 79404 पटना, दिनांक :- 16-11-11

प्रतिलिपि :- सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

प्रमंडलवार इंदिरा आवास योजना का समेकित प्रतिवेदन

प्रमंडल का नाम :-

क्रमांक	जिला का नाम	कुल लक्ष्य (पूर्व वर्षो के लंबित लक्ष्य सहित)	पूर्व के विशेष अभियान के बाद अवशेष लक्ष्य	द्वितीय विशेष अभियान दिसम्बर 2011 / जनवरी 2012 में पंचायत स्तरीय शिविरों में निष्पादित कार्यों की प्रगति				दिनांक 11.01.2012 को प्रखण्ड स्तरीय कैम्प में कितने लाभार्थियों को पासबुक हस्तगत कराया गया				अभ्र
				कितने लाभार्थियों का आवास स्वीकृत किया गया	कितने लाभार्थियों का शपथ-पत्र हुआ	कितने लाभार्थियों का बैंक खाता खोला गया	एडभाईस के माध्यम से कितने लाभार्थियों के पासबुक पर सहायता अनुदान की राशि अंतरित किया गया	अनुसूचित जाति/जनजाति	अल्पसंख्यक	सामान्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

नोट :- जिला द्वारा विहित प्रपत्र में प्रखण्डवार प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रमंडलीय आयुक्त समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगें ।